राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

क्रमांक :–रसद / एफपीएस / विज्ञप्ति / 2026 / 1913 दिनांक :– 24.07.2026

–: विज्ञप्ति :–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ17(1)खा.वि. / न्याय / 2025 दिनांक 24.02.2025 एवं पत्रांक एफ17(1)खा.वि. / न्याय / 2025 दिनांक 12.03.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में नवसृजित / रिक्त उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इस हेतु खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17(1)खा.वि. / विधि / 08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत सशुल्क (100 / – रूपये) आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र **दिनांक 24.07.2026 से 06.08.2026 तक सांय 06:00 बजे** तक प्राप्त किये जा सकते **है। आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2025 तक सांय 06:00 बजे तक** निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ में जमा करवाये जा सकेंगे। नवसृजित / रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 स0	तहसील	ग्राम / ग्राम पंचायत का नाम	विज्ञापित उचित मूल्य दुकानों की संख्या	आरक्षण की श्रेणी
1	रावतसर	पल्लू	1	महिला
2	रावतसर	किकरालिया	1	महिला
3	रावतसर	रामपुरा	1	सामान्य
4	रावतसर	खोडा	1	सामान्य
5	रावतसर	ब्रहमसर	1	सामान्य

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध मे विभागीय पत्रांक एफ.17(1)खा.वि / विधि / 08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 और समय–समय पर जारी संशोधन आदेश दिनांक 06.04.2016, 26.04.2016, 22.07.2016, 04.07.2017, 26.09.2017, 28.09.2018, 29.07.2019, 14.11.2019, 26.12.2019, 25.11.2020 और पत्रांक एफ17(4)खा.वी. / न्याय / 2025 राजकाज रेफरेन्स संख्या 15223120 दिनांक 10.05.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पत्र क्रमांक दिनांक 17.03.2016 और समय–समय पर जारी संशोधन आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट https://food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़

क्रमांक :–सम/2026/1914-34 दिनांक :– 24.07.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय केबिनेट मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर।
5. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. ए.सी.पी./प्रोग्रामर खाद्य विभाग, जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in पर अपलोड करवाने बाबत्।
7. माननीय सांसद महोदय जिला गंगानगर/बीकानेर।
8. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र भादरा/हनुमानगढ़/नोहर/पीलीबंगा/संगरिया।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़।
10. उपखण्ड़ अधिकारी (समस्त), जिला हनुमानगढ़।
11. विकास अधिकारी, (समस्त), जिला हनुमानगढ़।
12. ए0सी0पी0, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हनुमानगढ़ को जिले की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हनुमानगढ़।
14. उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ़।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़